ग्राम पंचायत सिकरोहा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016

भाग–एक

1 प्रस्तावना (क):–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि॰प्र॰, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत सिकरोहा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति रीता ठाकुर	01.04.2013 से 22.01.2016
2	श्री जय प्रकाश	23.01.2016 से 31.03.2016

सचिव :–

क्र॰	नाम	अवधि
1	श्री जगदीश कुमार	01.04.2016 से 31.03.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत सिकरोहा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

क्र॰	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	बैंक समाधान विवरणी न बनाए जाने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31–03–2016 के अन्त शेष में अन्तर	2.36
2	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	––
3	6.3	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना।	1.71
4	9	तीन वर्षों से प्राप्य राजस्व की वसूली न करना	0.14
5	10.1	अनुदान राशियों का अवरोधन	20.13
6	10.2	अनुदान की राशि को बिना व्यय करे वापिस करना	0.50
7	11	संदिग्ध व्यय	2.79

8	12	निविदाओं के बिना किया गया क्रय	1.06
9	17	अपूर्ण मनरेगा अभिलेख	——

2 वर्तमान अंकेक्षण :—

ग्राम पंचायत सिकरोहा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 15/07/2016 से 27/07/2016 तक ग्राम पंचायत सिकरोहा के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 11/2013, 04/2015, 03/2015 व 03/2013, 10/2014, 06/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत सिकरोहा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/—बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट अथवा मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015—16/—154 दिनांक 18/07/2016 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :—

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः—

4.1 स्वः स्त्रोत :— ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्वः स्त्रोतों (खाता 'क') की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया है :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	107371	38592	145963	33111	112852
2014—15	112852	16832	129684	38293	91391
2015—16	91391	33011	124402	15860	108542

4.2 **अनुदानः—** ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया हैः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	1168370	2620970	3789340	2083497	1705843
2014—15	1705843	1507778	3213621	2129612	1084009
2015—16	1084009	2845755	3929764	1916435	2013329

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न किए जाने के कारण रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्त शेष में अन्तर बारे :—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31—03—2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹236043/— का अन्तर बैंक खातों में अधिक शेष के रूप में है।

क्र•	खाता			अन्तशेष
	रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति के अनुसारः—			
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क' — पैरा 4(1)			108542.00
2	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख' — पैरा 4(2)			2013329.00
	कुल योग (क)ः			**2121871.00**
	बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः—			
	विवरण	**बैंक**	**खाता**	
1	सामान्य निधि — खाता 'क'	हि•प्र•रा•स• बैंक नम्होल	0007	274844.00
2	अनुदान खाता — खाता 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक नम्होल	0054	1462517.00
3	14वां वित्तायोग	हि•प्र•रा•स• बैंक नम्होल	7568	293424.00
4	मनरेगा	हि•प्र•रा•स• बैंक नम्होल	3183	2.00
5	आई डबल्यू एम पी—अनुदान	हि•प्र•रा•स• बैंक नम्होल	5705	1584.00
6	आई डबल्यू एम पी—लाभार्थी अंशदान	हि•प्र•रा•स• बैंक नम्होल	6285	10918.00
7	मध्य हिमालय जलागम परियोजना — अनुदान	हि•प्र•रा•स• बैंक नम्होल	2693	457.00
8	मध्य हिमालय जलागम परियोजना — लाभार्थी अंशदान	हि•प्र•रा•स• बैंक नम्होल	2692	8924.00
9	इन्दिरा आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक नम्होल	3722	186927.00
10	हरियाली परियोजना — अनुदान	हि•प्र•रा•स• बैंक नम्होल	3001	0.00
11	हरियाली परियोजना—लाभार्थी अंशदान	हि•प्र•रा•स• बैंक नम्होल	3002	118317.00
	कुल योग (ख)ः			**2357914.00**
	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क — ख)ः			**236043.00**

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अन्तिम शेष का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

6.1 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। लेखों की नमूना जांच में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम–विरूद्ध की जा रही निम्न विसंगतियां पाई गई हैंः–

6.1 **(क) नियम विरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः–** हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा पंचायत निधि एवं अनुदान, मनरेगा, हरियाली परियोजना, आई डबल्यू एम पी, इन्दिरा/अटल आवास योजना तथा मध्य हिमालय जलागम परियोजना के लिए छः अलग – अलग रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर निर्मित इन छः रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 **(ख) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालने बारेः–** लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु जांच में पाया गया कि रोकड़ बहियां पंचायत प्रधान द्वारा मात्र हस्ताक्षरित ही की गई हैं तथा इनमें जो अन्त शेष निकाले गए हैं वह अधूरे हैं और नियमानुसार न तो सही हैं

और न ही उनका सत्यापन हुआ है। इस कारण से पंचायत के लेखे सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करते हैं। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 **(ग) लैजर खातों का निर्माण न किये जाने बारेः—** हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत सिकरोहा में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा लैजर खातों के स्थान पर गत उप पैरा में वर्णित विभिन्न योजनाओं के लिए अलग—अलग छः रोकड़ बहियों का निर्माण करने को ही इस नियम की अनुपालना मान लिया गया है। प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। परन्तु इन लैजर खातों का निर्माण न करके इस नियम की अवहेलना तो की ही गई है साथ ही जब कभी उपरोक्त सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है तो बार बार आंकड़ों का संकलन करने में समय तथा मानव श्रम की अनावश्यक बरबादी होती है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 नियमों के विरूद्ध ग्यारह बैंक बचत खातों का खोला जानाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत सिकरोहा में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित ग्यारह बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन नौ अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 खाता 'ख' के ₹1,71,099/— के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत सिकरोहा के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹1,71,099/— खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की

अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता सं0	माह/वर्ष						कुल ब्याज
	9/2013	3/2014	9/2014	3/2015	9/2015	3/2016	
0054	9983.00	10993.00	11104.00	11653.00	15094.00	18913.00	77740.00
7568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1217.00	1217.00
3183	1057.00	1522.00	423.00	187.00	1.00	0.00	3190.00
5705	0.00	1068.00	2167.00	1834.00	858.00	31.00	5958.00
6285	0.00	6.00	56.00	131.00	210.00	215.00	618.00
2693	252.00	2822.00	3848.00	2343.00	82.00	177.00	9524.00
2692	159.00	161.00	165.00	168.00	172.00	175.00	1000.00
3722	1369.00	2319.00	1182.00	1664.00	1059.00	1713.00	9306.00
3001	11213.00	14379.00	13761.00	6967.00	1980.00	0.00	48300.00
3002	2041.00	2116.00	2442.00	2483.00	2553.00	2611.00	14246.00
कुल योग	**26074.00**	**35386.00**	**35148.00**	**27430.00**	**22009.00**	**25052.00**	**171099.00**

6.4 क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार न करनाः— हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत सिकरोहा द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

7 निवेश के सन्दर्भ में टिप्पणियांः—

7.1 नियमानुसार निवेश न करना

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में

इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत सिकरोहा द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 **निवेश रजिस्टर का निर्माण करनाः—** हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप—1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप —11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व ₹14,190/—का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹14,190/—की वसूली शेष थी।

गृहकर : पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2013—14 में 423, 2014—15 में 468 तथा 2015—16 में 478 परिवारों के लिए ₹15/—प्रति परिवार की दर से

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013—14	0.00	6345.00	6345.00	6345.00	0.00
2014—15	0.00	7020.00	7020.00	0.00	7020.00
2015—16	7020.00	7170.00	14190.00	0.00	14190.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

10 अनुदानों के उपयोग के सन्दर्भ मे टिप्पणियां:–

10.1 अनुदान ₹ 20.13 लाख का अवरोधन

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹**20,13,329/–की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10.2 आई• डबल्यू• एम• पी• के अनुदान की रु 0.50 लाख की राशि को बिना उपयोग वापिस करने बारे :–

आई• डबल्यू• एम• पी• की रोकड़ बही की जाच में पाया गया कि पृष्ठ 012 पर दिनांक 21.07.2015 को निधि के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की राशि में से **₹**50,000/–की राशि को बिना उपयोग करे ही खण्ड विकास अधिकारी, बिलासपुर को लौटा दिया गया है। इस अनुदान को वापिस किए जाने के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने वाला न तो अन्य कोई पत्राचार/अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया और न ही खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय की प्राप्ति रसीद ही प्रस्तुत की गई है। अतः अनुदान की इस राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट करना सुनिश्चित किया जाए तथा खण्ड विकास अधिकारी बिलासपुर से **₹**50000 के भुगतान की रसीद भी प्राप्त की जाए।

11 बिना बिल वाउचरों के किया गया ₹ 2.79 लाख का संदिग्ध व्यय:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में दर्ज **₹**2,78,821/–के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं

थे जिसका विवरण **परिशिष्ट –2** में दिया गया है। इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा, जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, में ही अपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है तथा पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के बिल तथा उचित रसीद के अभाव में यह व्यय सही प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भविष्य हेतु इस कार्यविधि को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

12 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.06 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1,05,840/–के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र	निधि	दिनांक	रो• ब• पृष्ठ	क्रय की गई सामग्री	राशि
1	सामान्य निधि	9.10.14	002	बिजली की मुरम्मत तथा फिटिंग	19500.00
2	सामान्य निधि	22.2.14	177	निर्माण सामग्री	17278.00
3	सामान्य निधि	23.7.15	025	लेखन सामग्री	6132.00
4	सामान्य निधि	19.3.16	046	कम्पयूटर सम्बन्धी उपकरण	6250.00
5	आई डबल्यू एम पी	24.1.15	007	रेत व बजरी	28890.00
6	आई डबल्यू एम पी	24.1.15	007	सरिया	4250.00
7	आई डबल्यू एम पी	25.1.14	002	बजरी	3895.00
8	आई डबल्यू एम पी	25.1.14	002	बजरी	3895.00
9	आई डबल्यू एम पी	25.1.14	002	बजरी	3800.00
10	हरियाली परियोजना	24.10.14	58	सरिया	5580.00
11	हरियाली परियोजना	24.10.14	58	सरिया	6370.00
				कुल योगः–	**105840.00**

13 ₹1000/–का अनुचित भुगतानः–

पंचायत निधि की रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि पृष्ठ 175 दिनांक 12–12–2013 को ₹1000/–का भुगतान जिला रैड क्रॉस सोसायटी के वर्ष 2013 के रैफरल ड्रॉ की टिकट संख्या 52001 से 52100 की 100 टिकटों के विरूद्ध ₹10/–प्रति टिकट की दर से किया गया है। नियमानुसार यह भुगतान पंचायत निधि पर उचित प्रभार नहीं है अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

14 क्रय की गई सामग्री के मूल्य का बिना कारण कम भुगतान करनाः–

ग्राम पंचायत में चलाई जा रही हरियाली परियोजना के लेखाओं की जांच में पाया गया कि मै॰ ठाकुर स्टील सेल्ज़, नम्होल से उनके बिल संख्या 614 व 615 दिनांक 11.7.2014 द्वारा ₹7349/–प्रति बिल की दर से कुल ₹14698/–का सरिया खरीदा गया था। इस खरीद के भुगतान की जांच में पाया गया कि रोकड़ बही के पृष्ठ 58 पर दिनांक 24/10/2014 को बैंक खाता संख्या 3001 के चैक संख्या 763163 तथा 763164 द्वारा क्रमशः ₹5580/–तथा ₹6370/–कुल ₹11950/–का ही किया गया है। इस कम भुगतान के सन्दर्भ में कोई स्पष्टीकरण/कारण वाउचर के साथ उपलब्ध अभिलेख में नहीं पाया गया जिस कारण से यह भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः अब इस प्रकरण की गहन जांच पंचायत द्वारा अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा स्टॉक रजिस्टरों में इसकी प्रविष्टि को खपत सहित करके आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

15 बिना भुगतान आदेश के बिलों का भुगतान करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। परन्तु पंचायत के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा अधिकतर बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया जा रहा है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 दिनांक रहित रसीदें जारी करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अधिकतर प्राप्तियों के लिए जारी रसीदों पर जारी करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है। जो कि नियमविरूद्ध होने के अतिरिक्त निधियों का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 मनरेगा अभिलेख में पाई गई त्रुटियांः–

17.1 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः–

ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का दैनिक आधार पर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मस्ट्रौल रजिस्टर की जांच में पाया गया कि इसमें प्रविष्टियां न तो पूर्ण की गई हैं और न ही इनका सत्यापन पंचायत प्रधान/सचिव से करवाया गया है। इसी प्रकार रोजगार कार्ड भी अधूरे पड़े हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

17.2 कार्डधारकों को नियमानुसार मांगा गया रोजगार उपलब्ध न करवाने बारेः– पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों में मनरेगा कार्डधारकों से रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु कुल 308 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों के विरूद्ध कुल 15387 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया है जो कि मनरेगा अधिनियम में निर्धारित मानदण्डों/गारंटी से 15413 दिन कम है। इस सन्दर्भ में पंचायत द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह एक अति गम्भीर अनियमितता तथा मनरेगा अधिनियम की स्पष्ट अवहेलना है। अतः सारा प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं गहन जांच हेतु लाया जाता है। इस सन्दर्भ में अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

18 स्टॉक रजिस्टरों के रख–रखाव में त्रुटियां:–

18.1 स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव उचित तरीके से न करना:–

सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत सिकरोहा में स्टॉक रजिस्टरों की जांच में पाया गया कि भण्डारण सम्बन्धी नियमों का पालन करने का प्रयत्न तो किया गया है परन्तु सम्पूर्ण तथा सही तरीके से नहीं। इनमें निम्नलिखित द्रुटियां पाई गई है:–

- अभी भी खरीदी गई प्रत्येक वस्तु हेतु अलग–अलग पृष्ठ का प्रयोग नहीं किया गया है तथा कुछ सामग्री जैसे कम्पयूटर, प्रिन्टर तथा स्कैनर एक ही पृष्ठ पर दर्ज हैं।
- खरीदी गई वस्तु का मूल्य तथा बिल/वाउचर का सन्दर्भ दर्ज नहीं किया गया है।
- प्रत्येक मद के उपलब्ध अन्तशेष नहीं निकाले गए हैं।

अतः इस सन्दर्भ में तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18.2 प्रत्यक्ष सत्यापन:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र॰	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	––	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के लैजर खाते	7	29(1)
6	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
7	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) (a & b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर पंचायत द्वारा बनाया तो गया है परन्तु इसे नियमानुसार सही तरीके से नहीं बनाया गया है और न ही इसका निरन्तर अद्ययतन (updation) किया गया है। जांच में पाया गया कि इसमें मात्र मनरेगा से सम्बन्धित तकनीकी स्वीकृतियां ही दर्ज की गई हैं। अन्य परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियों से सम्बन्धित कोई अभिलेख नहीं बनाया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–15 के लिए इस रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। इन त्रुटियों के सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए सुधार सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त तालिका में वर्णित अभिलेख व रजिस्टरों का निर्माण तथा रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 विविध अनियमितताएः–

20.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

20.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

20.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। इसके लिए समस्त अभिलेख मात्र मानदेय रजिस्टर में ही रखा जा रहा है। अतः इस अधूरे अभिलेख के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 **लघु आपति विवरणिका :—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

22:— निष्कर्षः— लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/—

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(12) 8/2016—खण्ड—1—6044—6047 दिनाँक :15.11.2016
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत सिकरोहा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या **1 (ख)** में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0

हस्ता/—

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट '2'

बिना बिल वाउचरों के किया गया संदिग्ध व्यय (पैरा 11 में सन्दर्भित):–

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृश्ठ		विवरण	राशि
	सामान्य निधिः				
1	22.2.14	177		सीमेन्ट ढुलाई	1040.00
2	31.7.14	193		सीमेन्ट ढुलाई	1200.00
3	12.12.14	006 / 007		ईंटें	16104.00
4	24.1.15	008		सीमेन्ट ढुलाई	2310.00
5	15.5.15	019		ग्राम सभा में चाय नाश्ता	4400.00
6	17.5.15	020		निर्माण सामग्री	3252.00
7	12.10.15	034		निर्माण सामग्री	5540.00

8	12.10.15	034		निर्माण सामग्री	3520.00
9	12.10.15	034		निर्माण सामग्री	24735.00
	आई डबल्यू एम पी – हरियाली परियोजनाः				
10	13.12.13	002		सीमेन्ट ढुलाई	1300.00
	मनरेगाः				
11	03/2014	89 से 98		विभिन्न वाउचरों से क्रय की गई निर्माण सामग्री	100651.00
12	06/2015	118 से 121		विभिन्न वाउचरों से क्रय की गई निर्माण सामग्री	114769.00
				कुल योगः	**278821.00**